

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प काकड़ा इत्यादि

मु. नं. - 2024/18

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी काकड़ा/37 द मू.अ.नि. पीठासीन
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली/नायब तहसीलदार काकड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में गाम साभरवाडा तहसील बाली जिला पाली
की जमावन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 55 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	साभरवाडा	55	सकाराम पुत्र लाला	चम्पालाल पुत्र लालाराम



उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
बाली (जिला - पाली) राज
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाली

कमांक :- 50-53

दिनांक :- 09/01/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री चम्पालाल पुत्र लालाराम काकड़ा को सूचनाये।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला - पाली) राज
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर